कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 3747/प्र0अ0/सिं0वि/का0 02/एस 03/(स्था0) दिनांक 30 जून 2026

—:कार्यालय—ज्ञाप:—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 कार्यवर्यवेक्षक संवर्ग में कार्यरत निम्नलिखित कार्यवर्यवेक्षक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क0 सं0	कार्मिक का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम
01	02	03	04
अनिवार्य स्थानान्तरण			
01	श्री रविन्द्र सिंह नरुला /09.02.1976	सिंचाई खण्ड, देहरादून।	सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम—2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :—

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा—24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता—पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली—2003 (समय—समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता(स्तर—।।)

संख्याः 3747/प्र0अ0/सिं0वि0/का0—2/तदिनांकः—

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर—।/स्तर—।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.comमें अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु।

30/6/26
(नागेन्द्र बहादुर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक—02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता।
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 3748/प्र0अ0/सिं0वि/का0 02/एस 03/(स्था0) दिनांक: 30 जून 2026

-:कार्यालय–ज्ञापः-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र–2026 कार्यवर्यवेक्षक संवर्ग में कार्यरत निम्नलिखित कार्यवर्यवेक्षक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ 04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क0 सं0	कार्मिक का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम
01	02	03	04
	अनिवार्य स्थानान्तरण		
01	श्री गोपाल/15.08.1972	स्थापना खण्ड, रूडकी।	सिंचाई खण्ड केदारनाथ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

9. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
10. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
11. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
12. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
13. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
14. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
15. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
16. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता(स्तर–।।)

संख्याः 3748/प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/तदिनांकः–

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

6. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.comमें अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु।

30/6/26

(नागेन्द्र बहादुर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः 3749/प्र0अ0/सिं0वि/का0 02/एस 03/(स्था0) दिनांकः 30 जून 2026

–:कार्यालय–ज्ञापः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र–2026 कार्यवर्यवेक्षक संवर्ग में कार्यरत निम्नलिखित कार्यवर्यवेक्षक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम
01	02	03	04
अनिवार्य स्थानान्तरण			
01	श्री विपिन कुमार/04.07.1979	नलकूप खण्ड, देहरादून।	सिंचाई खण्ड, थराली।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

17. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
18. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
19. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
20. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
21. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
22. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
23. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
24. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा

मुख्य अभियन्ता(स्तर–।।)

संख्याः3749/प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/तदिनांकः–

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

11. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
12. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
13. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
14. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
15. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.comमें अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु।

30/6/26

(नागेन्द्र बहादुर)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता।
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 3750/प्र0अ0/सिं0वि/का0-02/एस-03/(स्था0)   दिनांक: 30 जून 2026

–:कार्यालय–ज्ञाप:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र–2026 कार्यवर्गवेक्षक संवर्ग में कार्यरत निम्नलिखित कार्यवर्यवेक्षक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ–04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क0 सं0	कार्मिक का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम
01	02	03	04
	अनिवार्य स्थानान्तरण		
01	श्रीमती गीता/10.02.72	अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर।	सिंचाई खण्ड, चमोली।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें :–

25. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
26. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आंहरित नही किया जायेगा।
27. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगें।
28. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
29. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
30. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
31. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली–2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
32. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता(स्तर–।।)

संख्या: 3750/प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/तदिनांक:–

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

16. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
17. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
18. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
19. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
20. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.comमें अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु।

30/6/26

(नागेन्द्र बहादुर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–02)
कृते प्रमुख अभियन्ता